न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 5/2022 **दायर दिनांकः 11/02/2022**

उनवान

1. पंकज आयु 17 वर्ष पुत्र हेमराज संरक्षक सरपरस्त वली माता ममता जाति माली निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय दिनाकः 25/05/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल बमोरी पटवार हल्का बमोरी तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 327 का ख0नं0 773 का रकबा 0.02 है0, ख0 नं0 801 का रकबा 5.14 है0 कुल किता 2 का रकबा 5.16 है0 आराजी प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। प्रार्थी नाबालिग है इसलिए जर्ये वली माता ममता द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। नवीन नकल जमाबन्दी साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 327 में प्रार्थी का नाम टोनू गलत दर्ज हो रहा है जबकि सही नाम पंकज है। प्रार्थी के दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत बमोरी के प्रमाण पत्र, 10 वीं. बोर्ड की अंकतालिका, विद्यालय का अध्ययन प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम पंकज माली सही दर्ज है। दस्तावेजों की प्रतिया साथ में संलग्न है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम टोनू के स्थान पर सही नाम पंकज दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम सही दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पडेगा। अस्तु प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम टोनू के स्थान पर सही नाम पंकज दर्ज किया

जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम टोनू के स्थान पर सही नाम पंकज दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw1 ममता पत्नि हेमराज जाति माली निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां का शपथ पत्र पेश किया गया था शपथ बयान लेखबद्ध किये गये। ममता ने अपने सशपथ बताया कि ग्राम एवं माल बमोरी पटवार हल्का बमोरी तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 327 का ख0नं0 773 का रकबा 0.02 है0, ख0 नं0 801 का रकबा 5.14 है0 कुल किता 2 का रकबा 5.16 है0 आराजी मेरे पुत्र एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। मेरा पुत्र नाबालिग है इसलिए जर्ये वली माता मेरे द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त आराजी में मेरे पुत्र का नाम टोनू गलत दर्ज हो रहा है जबकि सही नाम पंकज है। मेरे पुत्र के दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत बमोरी के प्रमाण पत्र, 10 वीं बोर्ड की अंकतालिका, विद्यालय का अध्ययन प्रमाण पत्र में उसका नाम पंकज माली सही दर्ज है। इसलिए उक्त आराजी में मेरे पुत्र का नाम टोनू के स्थान पर पंकज दर्ज किया जावे। pw2 रामप्रसाद पुत्र गोरधन जाति माली निवासी बमोरी तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी ने बताया कि ग्राम एवं माल बमोरी पटवार हल्का बमोरी तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 327 का ख0नं0 773 का रकबा 0.02 है0, ख0 नं0 801 का रकबा 5.14 है0 कुल किता 2 का रकबा 5.16 है0 आराजी मेरे एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। पंकज नाबालिग है। उक्त आराजी में पंकज का नाम टोनू गलत दर्ज हो रहा है जबकि सही नाम पंकज है। पंकज के दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत बमोरी के प्रमाण पत्र, 10 वीं बोर्ड की अंकतालिका, विद्यालय का अध्ययन प्रमाण पत्र में उसका नाम पंकज माली सही दर्ज है। इसलिए उक्त आराजी में मेरे पुत्र का नाम टोनू के स्थान पर पंकज दर्ज किया जावे।

3. अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम टोनू के स्थान पर सही नाम पंकज दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करे।

4. उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत ग्राम बमोरी की जमाबन्दी (प्रदर्श 1) संवत 2070–2073 के खाता संख्या 327 ख0नं0 773 का रकबा 0.02 है0, ख0 नं0 801 का रकबा 5.14 है0 कुल किता 2 का रकबा 5.16 है0 भूमि में प्रार्थी का नाम सहखातेदार के रूप में नाबालिग टोनू पुत्र हेमराज संरक्षक सरपरस्त वली माता हिस्सा 1/64 दर्ज रिकार्ड है। अन्य दस्तावेज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की माध्यमिक परीक्षा 2021 की अंकतालिका (प्रदर्श 2ए) में प्रार्थी का नाम पंकज माली पुत्र हेमराज माली दर्ज है। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बमोरी अटरू का अध्ययन प्रमाण पत्र (प्रदर्श 3ए) के अनुसार पंकज माली पुत्र हेमराज माली बमोरी विद्यालय में अध्ययनरत है। आधार कार्ड (प्रदर्श 4ए) में पंकज माली पुत्र हेमराज माली दर्ज है। ग्राम पंचायत बमोरी के प्रमाण पत्र (प्रदर्श 5) दिनांक 03.02.2022 के अनुसार पंकज व टोनू पुत्र हेमराज को दोनों नामों से पुकारा जाता है यह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। जन आधार कार्ड (प्रदर्श 6ए) में प्रार्थी का नाम पंकज माली अंकित है।

5. रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का सही नाम दर्ज किया जाना उचित होगा। अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल बमोरी तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 327 का ख0नं0 773 का रकबा 0.02 है0, ख0 नं0 801 का रकबा 5.14 है0 कुल किता 2 का रकबा 5.16 है0 में सहखातेदार नाबालिग टोनू पुत्र हेमराज के स्थान पर पंकज उर्फ टोनू पुत्र हेमराज दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां